Sir

नवीन वाद पत्र पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र को विड्रो करता हूँ।

मो० यूसुफ

16/4/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। वकील वादी द्वारा निवेदन किया गया कि वर्तमान पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः नवीन वाद पत्र प्रस्तुत करने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये वाद पत्र विड्रो करता हूँ। इस बाबत वकील वादी श्री यूसुफ मोहम्मद द्वारा पत्रावली आदेशिका पत्र पर टिप्पणी अंकित की। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी पत्रावली पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति मे वाद पत्र पर आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः वकील वादी की लिखित टिप्पणी तथा मौखिक निवेदन को स्वीकार किया जाकर नवीन वाद पत्र प्रस्तुत करने के वादी के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये वाद पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बरान से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)